(c) if so, the details thereof;

(d) the steps Government propose to take in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AN-DEMPLOYMENT (DEPTT. OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY AL-LEVIATION) (SHRI S.S. AHLUWAL-LIA): (a) As informed by the Govern-ment of Uttar Pradesh, Kamla Nehru Nagar (Khurram Nagar) Lucknow is an unauthorised colony and residents are not paying any developmental charges to the concerned State Government department and therefore, there is no proper provi-sion of cither water supply, sewerage or roads in this colony.

(b) and (c) No survey has been con-ducted;

(d) and (e) There are 200 such unau-thorised colonies in Lucknow and all are facing similar problems as Kamla Nehru Nagar. The State Government is making efforts to provide basic amenities for the residents depending upon its financial resources.

Aeroplane operating without licence

740. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Orissa is operating an aeroplane without obtaining valid licence; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIA-TION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) The Government of Orissa owns four aircraft. One aircraft is unserviceable since 1978. The remaining three aircraft have valid certificates of airworthiness.

School Facilities in Garhwal

741. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the villages in the hill region of Uttar Pradesh do not have proper school facilities;

(b) whether any action has been initiated on the instructions issued by the former Chief Minister of Uttar Pradesh to upgrade the schools in Pauri Garhwal region;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, by when the upgradation of the schools is likely to be done?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI): (a) School education is Primarily the concern of the respective State Government/Union Territory Administrations. The establishment of schools in a particular area/region is decided by the concerned Statc/U.T. Governments as a part of its overall educational planning and as per the local needs and availability of its resources.

(b) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पर्यटक आकर्षणों का अधिकतम उपयोग

742. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

चोधरी हर मोहन सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विश्व के किसी भी क्षेत्र के पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी पर्यटक आकर्षण मौजूद है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इन सभी आकर्षणों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रही है, जबकि सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे छोट-छोटे देश पर्यटन के क्षेत्र में हमसे आगे है,

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) पर्यटक आकर्षणों का पूरा उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम बनी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग द्वारा देश में पर्यटक आगमनों में वृद्धि करने की दृष्टि से सभी पर्यटक स्थलों का पताल लगाने हेतु राज्य सरकारों और यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों के सहयोग से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटक स्थलों का पर्यटन विभाग के विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से व्यापार बाजारों व नए घटकों का अभिनिर्धारण करके तथा प्रमुख यात्रा अभिकरणों और यात्रा प्रचालकों के साथ गहन रूप से कार्य करके भी संबर्धन किया जाता है। सिंगापुर और मलेशिया जैसे छोटे-छोटे देशों में हमारे देश जैसे अधारभूत अवरोधक नहीं है।

शिकायतों की मानिटरिंग

*743. **श्री नागमणि :**

श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक शिकायतों की सही तरह से मानिटरिंग नहीं कि जाती है जिसके कारण इस विभाग के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, और

(ग) इस विभाग द्वारा अपने स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) लोक शिकायतों से संबंधित मामलों के लिये एक "नोडल एजेन्सी" के रूप में प्रशासिनक सुधान और लोक शिकायत विभाग के प्रमुख कार्य, लोक शिकायतों के निवारण हेतु नीति संबंधी सम्बद्ध मसलों का समन्वय करना है। इन कार्यों के अनुसरण में, विभाग ने लोक शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र का संस्थागत ढांचा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तैयार करने के बारे में समय-समय पर व्यापक मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि अधिकांश शिकायतें क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं, इसलिये उनका वास्तविक निवारण अनिवार्य रूप् से स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐसी एजेंन्सियों द्वारा ही किया जाना होता है जो उनके कार्य-कलापों सें संबंधित क्षेत्र से सम्बद्ध शिकायतों की प्रक्रियाओं और विषय-वस्तु से अवगत होती है। तदनुसार प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग में प्राप्त हुई शिकायतों की छानबीन की जाती है और उनके निपटान हेतु उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को भेजा जाता है। लोक शिकायत निदेशालय (मंत्रिमण्डल सचिवालय) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से संबंधित मामलों अथवा पेंशन/सेवा संबंधी मामलों, अनुकम्पा के आधार पर रोजगार से संबंधित अनुरोधों, वैयक्तिक विवादों तथा अदालतों आदि में लंबित पड़े मामलों, जिन्हें लोक शिकायतें नहीं माना जाता, को समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

लोक शिकायतों के निपटान की मानीटरिंग करने के लिये मंत्रालयों/विभागों के लोक शिकायतों की प्रत्येक तिमाही समीक्षा करें और उनके निवारण के लिये कार्रवाई करें। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रगति की समीक्षा करने के लिये चुन हुए मंत्रालयों/विभागों के निदेशकों के साथ बैठकें भी की जाती हैं। विभाग जब तक संबंधित शिकायत याचिका का निपटान नहीं हो जाता संबंधित मामलें के निपटान की मानीटरिंग करने हेतु प्राप्त हुई शिकायतों का कुछ प्रतिशत भी चुनता है। हाल ही में प्रमुख शिकायत बाहुल्यता वाले मंत्रालयों/विभागों (लोक शिकायत निदेशालय (मंत्रिमण्डल सचिवालय), के क्षेत्राधिकार में आने वालों को छोड़कर को स्थानान्तरित की गई शिकायतों की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए शुरू की गई है।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1993, 1994 और 1995) में दौरान क्रमशः 4377, 8152 और 4432 लोक शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों के संबंध में ऊपर बताये अनुसार कार्रवाई की गई।